Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath

UP CM Yogi Adityanath on Tuesday set a deadline of three months for all ministers to declare theirs as well as their families' assets while bringing in a new directive of making it mandatory for provincial civil services (PCS) officers also to declare theirs as well as their families' assets annually, along with IAS officers, in a bid to increase transparency in the system.

With reports emerging of minister Sanjay Nishad's son, BJP MP Praveen Nishad going on inspections on behalf of his father, the CM also, without naming anyone, said all ministers should ensure none of their family members should play a role in administrative works. "Our conduct should present an example," he said in a cabinet meeting on Tuesday. Sanjay Nishad

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 23/08/2022

श्री योगी एम0पी0 सिंह,
मो0-सुरेखपुरम, जबलपुर रोड, पोस्ट आफिस-सांगमोहल,
जनपद-मिरजापुर-23001।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने पत्र दिनांक 29.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों एवं उनके परिवार द्वारा दाखिल वार्षिक सम्पत्ति का विवरण सहित कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आप द्वारा वांछित सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में कार्यरत आई0ए0एस0 अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण भारत सरकार की वेबसाइट **dopt.gov.in** पर आनलाइन दाखिल कर सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जो सभी के सुलभ है। कृपया आई0ए0एस0 अधिकारियों की सम्पत्ति विषयक सूचना भारत सरकार की उक्त वेबसाइट से प्राप्त करने का कष्ट करें।

Signed by चन्द्र श्याम मिश्र
Date: 23-08-2022 13:38:05
Reason: Approved

(चन्द्र श्याम मिश्र)
जन सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी,
नियुक्ति अनुभाग-5

सूचना का अधिकार

स्पीड पोस्ट/पंजीकृत

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक:12/12/2022

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील का निस्तारण।

श्री योगी एम0पी0 सिंह, मोहल्ला सुरेखपुरम, जबलपुर रोड, सांगमोहल, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 में आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों एवं उनके परिवार द्वारा दाखिल वार्षिक सम्पत्ति का विवरण सहित कतिपय सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2022 प्रस्तुत किया गया।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त श्री योगी एम0पी0 सिंह की अपील दिनांक 29.08.2022 का परिशीलन किया गया तथा निम्नवत सूचना उपलब्ध कराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारित की जाती है:-

प्रदेश में कार्यरत आई0ए0एस0 अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी अचल सम पत्ति का वार्षिक विवरण भारत सरकार की वेबसाइट dopt.gov.in पर आनलाइन दाखिल कर सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जो सभी के लिए सुलभ है। कृपया आई0ए0एस0 अधिकारियों की सम्पत्ति विषयक सूचना भारत सरकार के उक्त वेबसाइट से प्राप्त करने का कष्ट करें।

(प्रवीण कुमार सिंह)

प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप सचिव।

श्री योगी एम0पी0 सिंह,
मोहल्ला सुरेखपुरम,
जबलपुर रोड, सांगमोहल,
उत्तर प्रदेश।

Signed by प्रवीण कुमार
सिंह
Date: 12-12-2022 13:57:42
Reason: Approved

RTI

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-5
संख्या-ई०-179 /दो-05-2023-
लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2023

श्री योगी एम०पी०सिंह
मोहल्ला- सुरेकापुरम, जबलपुर रोड
संगमोहाल पो०आफिस
मीरजापुर-231001

कृपया जन सूचना से संबंधित अपने आन-लाइन पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके निम्नवत् जन सूचना पत्र/ अपील पत्र आन-लाइन प्राप्त हुए हैं :-

1. DPART/R/2022/80023 दिनांक 29-04-2022
2. DPART/R/2022/80026 दिनांक 02-05-2022
3. DPART/R/2022/80028 दिनांक 09-05-2022
4. DPART/R/2022/60144 दिनांक 16-12-2022
5. DPART/A/2023/60006 दिनांक 11-03-2023

3- अवगत कराना है कि आपके जन सूचना पत्रों के संदर्भ में वांछित सूचना पत्र सं0-02-5007(001)/14/2022 दिनांक 23-08-2022 द्वारा प्रेषित की गई, जिसके संदर्भ में प्रथम अपील पत्र संख्या-DPART/A/2022/60006 दिनांक 11-03-2023 द्वारा निम्न तथ्यों से सूचित किया गया है:-

You are advised to contact the above mentioned officer for further details. The appellant sent the email on the aforementioned email bearing subject as- the Department of appointment did not provide any information to information seeker concerning **declaration of assets by provincial civil servants and their family members.** The description of the sent email is as follows. Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh 27 February 2023 at 14:00 To: secyoppint@nic.in, soniyukti5@gmail.com, Chief Minister , Governor Uttar Pradesh , PMO India , PMO India , President Secretariat , supremecourt It is most unfortunate that the public information officer did not take the email representation of the appellant seriously because of the anarchy in the state. What is the value of your public statement of chief minister Yogi Adityanath regarding voluntary disclosure of assets by provincial civil servants and their family members? PIO again procrastinating on my RTI Application submitted online quite obvious from the following submissions. I think that he had to tell during the first time that such deliberations are made by our political masters to garner support of people and build up a public image of honesty and there is no substance in such speculations made by our political masters. They should not make the mockery of the provisions of Right to Information Act 2005 as being made by them. Honesty is not a bed of roses. **PIO in the office of chief minister, government of Uttar Pradesh may provide the following information** point wise within stipulated time as prescribed under sub section 1 of the section 7 of the Right to Information Act 2005 as follows.

1. Copy of the circular/ government orders/office memorandums **issued to subordinate offices for disclosure of assets voluntarily.**
2. Name and designation of the **subordinates of the Honourable chief minister who declared their property voluntarily.**

3. PIO may furnish the access to information regarding strategy to ascertain success of the pious campaign of voluntary disclosure of the assets by the public staff initiated by the stalwart chief minister Yogi Adityanath has created sensation among corrupt sheep.

4- अवगत कराना है कि प्रकरण में नियुक्ति-5 के उक्त पत्र दिनांक 23-08-2022 द्वारा सूचना आपको प्रेषित की गई है। अन्य कोई सूचना इस अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। आपके उक्त जनसूचना पत्र के संदर्भ में नियुक्ति अनुभाग-2 /3 तथा जन सूचना अधिकारी- मुख्य मंत्री कार्यालय, उ०प्र०शासन से नियमानुसार कार्यवाई हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

उक्त तथ्यों के आलोक में आपके उक्त आन लाइन जन सूचना पत्रों/ अपीलीय पत्र को निस्तारित किया जाता है।

(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप सचिव।

संख्या-479 (1)/ दो-5-2023, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जन सूचना अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-2; /3 तथा जन सूचना अधिकारी- मुख्य मंत्री कार्यालय, उ०प्र०शासन को इस आशय से अन्तरित कर प्रेषित कि आवेदक के आनलाइन प्राप्त उक्त जनसूचना पत्रों (प्रतियां संलग्न) के संदर्भ में अपने अनुभाग/ विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवेदक सूचना देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाई करने का कष्ट करें।
2. गार्ड बुक।

(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप सचिव।

सूचना का अधिकार

स्पीड पोस्ट/पंजीकृत

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक:12/12/2022

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील का निस्तारण।

श्री योगी एम0पी0 सिंह, मोहल्ला सुरेखपुरम, जबलपुर रोड, सांगमोहल, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 में आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों एवं उनके परिवार द्वारा दाखिल वार्षिक सम्पत्ति का विवरण सहित कतिपय सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2022 प्रस्तुत किया गया।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त श्री योगी एम0पी0 सिंह की अपील दिनांक 29.08.2022 का परिशीलन किया गया तथा निम्नवत सूचना उपलब्ध कराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारित की जाती है:-

प्रदेश में कार्यरत आई0ए0एस0 अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण भारत सरकार की वेबसाइट dopt.gov.in पर आनलाइन दाखिल कर सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जो सभी के लिए सुलभ है। कृपया आई0ए0एस0 अधिकारियों की सम्पत्ति विषयक सूचना भारत सरकार के उक्त वेबसाइट से प्राप्त करने का कष्ट करें।

(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप सचिव।

श्री योगी एम0पी0 सिंह,
मोहल्ला सुरेखपुरम,
जबलपुर रोड, सांगमोहल,
उत्तर प्रदेश।

Signed by प्रवीण कुमार सिंह
Date: 12-12-2022 13:57:42
Reason: Approved

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 23/08/2022

श्री योगी एम0पी0 सिंह,

मो0-सुरेखपुरम, जबलपुर रोड, पोस्ट आफिस-सांगमोहल,

जनपद-मिरजापुर-23001।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने पत्र दिनांक 29.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों एवं उनके परिवार द्वारा दाखिल वार्षिक सम्पत्ति का विवरण सहित कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आप द्वारा वांछित सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में कार्यरत आई0ए0एस0 अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण भारत सरकार की वेबसाइट **dopt.gov.in** पर आनलाइन दाखिल कर सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जो सभी को सुलभ है। कृपया आई0ए0एस0 अधिकारियों की सम्पत्ति विषयक सूचना भारत सरकार की उक्त वेबसाइट से प्राप्त करने का कष्ट करें।

Signed by [illegible]

मिश्र

([illegible]) 13:38:05

Reason: Approved

जन सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी,

नियुक्ति अनुभाग-5.